This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 29 मार्च, 2025 / 08 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 26 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–111 / 2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत **हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण)**

विधेयक 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 5) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

————————

2025 का विधेयक संख्यांक 5

हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

अध्याय–2
दण्ड

3. संगठित अपराध।
4. संगठित अपराध के लिए दण्ड।
5. सहबद्ध अपराधों के लिए दण्ड।
6. अवैध धन रखने के लिए दण्ड।
7. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए बर्धित दण्ड।

अध्याय–3
सम्पत्ति का अभिग्रहण, कुर्की और निपटान

8. सम्पत्ति का अभिग्रहण।
9. सम्पत्ति की कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तन।
10. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या कुर्क की गई सम्पत्तियों का प्रबन्धन।
11. सम्पत्ति का निपटान।

अध्याय–4
अपराधों का प्रशमन

12. अपराधों का प्रशमन।

अध्याय–5
प्रकीर्ण

13. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. इस अधिनियम का अल्पीकरण में न होना।

हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

अपराधों के दायरे को विस्तृत करते हुए, निवारक उपायों में वृद्धि करते हुए और आपराधिक सिंडिकेटों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करते हुए विधिक ढांचे को सुदृढ़ करने, संगठित अपराध का सामना करने के लिए तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषा.––**(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "दुष्प्रेरण" में उसके व्याकरणिक रूपान्तरणों और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित निम्नलिखित सम्मिलित हैं, परंतु यह इन्हीं तक ही सीमित नहीं है,–

(i) किसी व्यक्ति को संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ने, सहायता करने या उसमें शामिल होने के लिए उकसाना;

(ii) किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, किसी दस्तावेज, सूचना या मामले को हस्तांतरित करना, प्रकाशित करना या वितरित करना, जिससे संगठित अपराध सिंडिकेट को सहायता मिलने की संभावना हो;

(iii) किसी कार्य या चूक द्वारा जानबूझकर किसी संगठित अपराध को करने में सहायता करना; या

(iv) संगठित अपराध सिंडिकेट को वित्तीय या अन्य कोई सहायता प्रदान करना;

(ख) "सतत् विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप" से, विधि द्वारा निषिद्ध क्रिया–कलाप अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से किया गया हो, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप–पत्र दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए हों और ऐसे न्यायालय में ऐसे अपराध का संज्ञान लिया हो, और इसमें आर्थिक अपराध भी सम्मिलित है;

(ग) "सरकार या राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "अधिसूचना" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र (ई–गजट) में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ङ) "संगठित अपराध सिंडिकेट" से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कोई समूह अभिप्रेत है, जो या तो अकेले या संयुक्त रूप से सिंडिकेट या गैंग (गिरोह) के रूप मे कार्य करते हुए किसी भी सतत् विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप में संलिप्त हैं;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) "संपत्ति" में चल और अचल संपत्ति सम्मिलित है; और

(ज) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं, परन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) में परिभाषित है के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस संहिता में हैं।

अध्याय–2
दण्ड

3. संगठित अपराध.––कोई भी सतत् विधिविरूद्ध क्रिया–कलाप जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं,–

(क) ऐसी दवाओं को रखना, खरीदना, परिवहन करना या आपूर्ति करना जिनमें नशे की लत लगने की संभावना हो और जो विधि के अधीन निषिद्ध हों;

(ख) पर्यावरणीय संबंधी अपराध जैसे अवैध खनन, वनों की कटाई, वन्यजीवों की तस्करी, या खतरनाक अपशिष्टों की डंपिंग;

(ग) बौद्धिक संपदा अपराध जिसमें चोरी, ब्रांडेड वस्तुओं की जालसाजी, या व्यापार रहस्यों की चोरी सम्मिलित है;

(घ) झूठे दावे और बिलिंग धोखाधड़ी से अंतर्वलित स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी;

(ङ) मानव अंगों की तस्करी जिसमें अंगों का अवैध व्यापार अंतर्वलित है;

(च) साइबर आतंकवाद जिसमें हैकिंग, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर रैनसमवेयर हमले अंतर्वलित हैं;

(छ) जाली शैक्षिक प्रमाण–पत्रों और अन्य दस्तावेजों का उत्पादन और वितरण करने वाले फर्जी दस्तावेज रैकेट्स;

(ज) सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने के आशय से खाद्य एवं औषधि में मिलावट;

(झ) सट्टेबाजी या आर्थिक लाभ के लिए खेल भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग,

किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा के प्रयोग, हिंसा की धमकी, अभित्रास, प्रपीड़न या किसी अन्य विधि–विरुद्ध तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भैतिक लाभ प्राप्त करने, जिसमें वित्तीय लाभ भी सम्मिलित हैं, या उग्रवाद को बढ़ावा देना; या समाज में आतंक पैदा करना संगठित अपराध माना जाएगा।

4. संगठित अपराध के लिए दण्ड.––(1) जो कोई संगठित अपराध करता है, वह यदि ऐसे उपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु या आजीवन कारावास और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जो कोई धारा 3 के खंड (क) के अधीन अपराध करेगा, वह कठोर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम नहीं होगी, परन्तु चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना संदत के लिए भी दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, परन्तु दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(3) उप–धारा (1) और (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय, जो कोई संगठित अपराध करता है वह कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु वह आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा,।

5. सहबद्ध अपराधों के लिए दण्ड.––(1) जो कोई दुष्प्रेरित करता है, संगठित अपराध करने का प्रयास करता है, षड्यंत्र करता है या जानबूझकर उसे करने में मदद करता है, या संगठित अपराध की तैयारी के लिए किसी अन्य कार्य में संलग्न होता है, तो वह कारावास, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, और वह जुर्माने के लिए दायी होगा जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, तो वह कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा परन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा तथा वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(3) जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देगा या छिपाएगा जिसने संगठित अपराध का अपराध किया है, उसे कारावास से, जो छह महीने से कम नहीं होगा, किन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो बीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

परन्तु यह उपधारा ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी जिसमें अपराधी के पति या पत्नी द्वारा अपराधी को आश्रय दिया गया हो या छिपाया गया हो।

6. अवैध धन रखने के लिए दण्ड.––(1) जो कोई किसी संगठित अपराध के किए जाने से या किसी संगठित अपराध आगम से प्राप्त या संगठित अपराध के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को अपने पास रखता है, तो उसे कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए दायी होगा जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।

(2) यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास ऐसी चल या अचल संपत्ति है या किसी समय रही है, जिसका वह संतोषजनक लेखा नहीं दे सकता, तो उसे कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परन्तु दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा ।

7. पूर्ववर्ती दोषसिद्धि के पश्चात् अपराधों के लिए बर्धित दण्ड.––कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध करने का दोषी ठहराया गया है, वह दूसरे और हर पश्चात्वर्ती अपराध पर कठोर कारावास जिसकी अवधि, दण्ड की अधिकतम अवधि की डेढ़ गुणा तक हो सकेगी, तथा जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो जुर्माने की अधिकतम राशि का डेढ़ गुणा तक होगा, से दण्डनीय होगाः

परन्तु यह कि न्यायालय, निर्णय में कारणों को लिखित में अभिलिखित करके उस व्यक्ति पर उस जुर्माने से अधिक जुर्माना लगा सकेगा जिसके लिए वह उत्तरदायी हैः

अध्याय–3

सम्पत्ति का अभिग्रहण, कुर्की और निपटान

8. सम्पत्ति का अभिग्रहण.––(1) जहां किसी पुलिस अधिकारी, जो कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, को यदि यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संपत्ति व्युत्पन्न या प्राप्त की गई है, और उसे छिपाया या अन्तरित किया जा सकता है या किसी ऐसी रीति से निपटाया जा सकता है, जिससे ऐसी संपत्ति का निपटान हो जाएगा, तो वह ऐसी संपत्ति को अभिगृहीत करने के लिए लिखित में युक्तियुक्त आदेश दे सकेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को तामील की जाएगी।

(2) पुलिस अधिकारी, जो उप–धारा (1) के अधीन संपत्ति अभिगृहीत करता है, ऐसी जब्ती से 48 घंटे के भीतर, अपराध का संज्ञान लेने या मामले को विचारण के लिए सौंपने या विचारण के लिए अधिकारिता वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को वह किसी ऐसे मामले में ऐसे अभिग्रहण के 48 घण्टे के भीतर यथाशक्यशीघ्र, अभिग्रहण की रिपोर्ट करेगा जिसमें उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी होगी जिनके अधीन संपत्ति अभिगृहीत की गई थी और उसके बाद, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार संपत्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

9. सम्मत्ति की कुर्की समपहरण या प्रत्यावर्तन.––(1) जहां कोई अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्युत्पन्न या प्राप्त हुई है, तो वह पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, जो उस अपराध का संज्ञान लेने या विचारण के लिए सौंपने या मामले की सुनवाई करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास, साक्ष्य लेने से पहले या बाद में, यह मानने के कारण हैं कि ऐसी सभी या कोई संपत्ति अपराध के आगम है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट नोटिस जारी कर सकेगा। ऐसे व्यक्ति से चौदह दिन की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि कुर्की का आदेश क्यों न दिया जाए।

(3) जहां उप–धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई सूचना में किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित बताया गया है, वहां सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी।

(4) न्यायालय या मजिस्ट्रेट, उप–धारा (2) के अधीन जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, तथा ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, उन संपत्तियों के संबंध में, जो अपराध के आगम में पाई जाती हैं, कुर्की का आदेश पारित कर सकेगाः

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट चौदह दिन की अवधि के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है अथवा न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत नहीं करता है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(5) उप–धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त उप–धारा के अधीन नोटिस जारी करने से कुर्की का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करके ऐसी संपत्ति की कुर्की का निर्देश दे सकेगा और ऐसा आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक धारा 10 के अधीन आदेश पारित नहीं कर दिया जाता।

10. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्तियों का प्रबंधन.––(1) न्यायालय उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां संपत्ति स्थित है, या किसी अन्य अधिकारी को, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्देशित किया जाए, यथास्थिति, अभिग्रहण या कुर्की की अवधि के दौरान, ऐसी संपत्ति के प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक उस संपत्ति को, जिसके संबंध में धारा 8 या धारा 9 के अधीन आदेश दिया गया है, न्यायालय के आदेश के अनुसार प्राप्त करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

11. संपत्ति का निपटान.––(1) यदि सपत्ति शीघ्र निपटान के अधीन है और प्राकृतिक क्षय, या यदि यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट की राय है कि इसकी बिक्री लाभकारी होगी, या यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रुपए से कम है तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसे बेचने का निर्देश दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह ज्ञात होता है कि कुर्क या अभिगृहीत संपत्ति अपराध की आगम है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को आदेश द्वारा निर्देश देगा कि वह अपराध की ऐसी आगम को ऐसे अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में आनुपातिक रूप से वितरित करे।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति पर, जिला मजिस्ट्रेट, साठ दिन की अवधि के भीतर अपराध से प्राप्त आगम को या तो स्वयं वितरित करेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसा वितरण करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(4) यदि ऐसा आगम प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या कोई दावेदार निश्चित नहीं है या दावेदारों का समाधान करने के पश्चात कोई अधिशेष है, तो अपराध की ऐसी आगम सरकार के पास अभिगृहीत हो जाएगी और उसका निपटान ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा, जो विहित की जाएं।

अध्याय–4

अपराधों का प्रशमन

12. अपराधों का प्रशमन.––(1) इस अधिनियम के अधीन न्यूनतम तीन वर्ष या उससे कम का दण्ड और जुर्माने से सम्बन्धित कोई दण्डनीय अपराध, सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पदाभिहित सरकार के किसी अधिकारी द्वारा जो सरकार के सचिव के नीचे की पंक्ति का न हो, ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित अधिकतम जुर्माने के पचहत्तर प्रतिशत की राशि से, विहित रीति से प्रशमन किया जा सकेगाः

परंतु यह कि यदि प्रशमनीय अपराध से किसी व्यक्ति को उपहति पहुंची है तो ऐसे अपराध का प्रशमन उस व्यक्ति की सहमति के बिना नहीं किया जाएगाः

परंतु यह और भी कि यदि न्यायालय ने अपराध का संज्ञान ले लिया है तो ऐसे अपराध का प्रशमन उस न्यायालय की अनुमति से किया जाएगा।

(2) यदि अभियुक्त पूर्व दोषसिद्धि के कारण धारा 7 के अधीन बर्धित दण्ड के लिए दायी है तो ऐसे किसी अपराध का प्रशमन नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन किसी अपराध का प्रशमन अभियुक्त, को दोषमुक्त करने के समान प्रभावी होगा।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

13. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.––इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या

किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

14. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

15. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल पन्द्रह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो रखा जाएगा, जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, उक्त सत्रों जिनमें वह इस प्रकार रखा गया हो या उपर्युक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या यह विनिश्चय करती है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

16. किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में कार्य नहीं करना.––इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी विषय को विनियमित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और न कि उसके अल्पीकरण में।

————————

उद्देश्य और कारणों का कथन

संगठित अपराध सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिरता और समाज की समग्र सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए, इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समर्पित कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2025 का उद्देश्य संगठित अपराध से निपटना, सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करना है। मुख्य विशेषता सम्मिलित है।

1. **व्यापक परिभाषा** : विधेयक संगठित अपराध की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर आतंकवाद, मानव अंग व्यापार और स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को शामिल आती है तथा उभरते आपराधिक खतरों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

2. **कठोर दंड** : यह कठोर शास्तियां का विहित कल है, जिसमें मृत्यु का कारण बनने वाले अपराधों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास सम्मिलित है, साथ ही अन्य अपराधों के लिए भारी जुर्माना और कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है।

3. **बार–बार अपराध करने वालों के लिए शास्तियां** : लगातार आपराधिक व्यवहार को रोकने के लिए बार–बार अपराध करने वालों के लिए बढ़ी हुई सजा की शुरूआत की गई है।

4. **वित्तीय नेटवर्कों को लक्ष्य बनाना** : विधेयक में अपराध सिंडिकेट से जुडी संपत्तियों को अभिगृहीत करने तथा उनकी वित्तीय नींव को कमजोर करने के उपबन्ध सम्मिलित हैं।

5. **निवारक उपायों** : विधेयक, अधिकारियों को अपराध सिंडिकेट से जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों की जांच करने और उन्हें अभिगृहीत करने के लिए अधिक प्राधिकार सशक्त करता है।

6. **अधिकारी संरक्षण** : जांच के दौरान सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है।

7. **लचीला क्रियान्वयन** : प्रस्तावित विधि के उपबन्धों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाया जा रहा है।

इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में न्याय एवं सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संगठित अपराध पर अंकुश लगाना है।

इस विधेयक का उद्देश्य पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंद्र सिंह सुक्खु)
मुख्य मंत्री।

शिमला :
तारीख.....,2025

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खंड 15 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 5 OF 2025

THE HIMACHAL PRADESH ORGANISED CRIMES (PREVENTION AND CONTROL) BILL, 2025

ARRANGEMENTS OF CLAUSES

Clauses:

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER-II
OF PUNISHMENTS

3. Organised Crime.

4. Punishment for Organised Crime.
5. Punishment for associated offences.
6. Punishment for possession of illicit wealth.
7. Enhanced punishment for offences after previous conviction.

CHAPTER –III
SEIZURE, ATTACHMENT AND DISPOSAL OF THE PROPERTY

8. Seizure of property.
9. Attachment, forfeiture or restoration of property.
10. Management of properties seized or attached under this Chapter.
11. Disposal of property.

CHAPTER-IV
COMPOUNDING OF OFFECES

12. Compounding of offences.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

13. Protection of action taken in good faith.
14. Power to remove difficulties.
15. Power to make rules.
16. Act not in derogation of any other law.

_____

Bill No. 5 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH ORGANISED CRIMES (PREVENTION AND CONTROL) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to strengthen the legal framework to combat organised crime by expanding the scope of offences, enhancing preventive measures, and ensuring stringent punishment for criminal syndicates and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Years of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Organised Crimes (Prevention and Control) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "abetment" with its grammatical variations and cognate expressions, includes, but not limited to, —

(i) instigating a person to associate, assist or join an organised crime syndicate;

(ii) passing on, publication or distribution of, without any lawful authority, any document, information or matter likely to assist the organised crime syndicate;

(iii) intentionally aiding, by an act or omission, the committing of an organised crime; or

(iv) rendering of any assistance, whether financial or otherwise, to the organised crime syndicate;

(b) "continuing unlawful activity" means an activity prohibited by law,undertaken by any person, either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent Court within the preceding period of ten years and that Court has taken cognizance of such offence, and includes economic offence;

(c) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(d) "notification" means notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(e) "organised crime syndicate" means a group of two or more persons who, acting either singly or jointly, as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity;

(f) "prescribed" means prescribed by rules under this Act;

(g) "property" includes moveable and immovable property; and

(h) "section" means a section of this Act.

(2) The words and expressions used but not defined in this Act but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) shall have the meanings respectively assigned to them in that Sanhita.

CHAPTER-II
OF PUNISHMENTS

3. Organised Crime.—Any continuing unlawful activity including, but not limited to,—

(a) possessing, purchasing, transporting or supplying drugs having potential of addiction and prohibited under the law;

(b) environmental crimes such as illegal mining, deforestation, wildlife trafficking, or hazardous waste dumping;

(c) intellectual property crimes including piracy, counterfeiting of branded goods, or theft of trade secrets;

(d) healthcare fraud involving false claims, and billing fraud;

(e) human organ trafficking involving unlawful trade in organs;

(f) cyber-terrorism involving hacking, ransomware attacks on critical infrastructure;

(g) fake document rackets producing and distributing forged educational certificates and other documents;

(h) food and drug adulteration with intent to endanger public health;

(i) sports corruption and match-fixing for betting or economic advantage,

by any person or a group of persons acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit including a financial benefit; or promote insurgency; or to create terror in the society, shall constitute organised crime.

4. Punishment for Organised Crime.—(1) Whoever commits organised crime shall, if such offence has resulted in the death of any person, be punished with death or imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees.

(2) Save as otherwise provided, whoever commits offence under clause (a) of section 3, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than two years but may extend up to fourteen years and shall also be liable to pay fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to ten lakh rupees.

(3) Save as otherwise provided in sub-sections (1) and (2), whoever commits organised crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

5. Punishment for associated offences.—(1) Whoever abets, attempts, conspires or knowingly facilitates the commission of an organised crime, or otherwise engages in any act preparatory to an organised crime, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand but may extend to five lakh rupees.

(2) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand rupees but may extend to five lakh rupees.

(3) Whoever, intentionally, harbours or conceals any person who has committed the offence of an organised crime shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand but may extend to five lakh rupees:

Provided that this sub-section shall not apply to any case in which the harbour or concealment is by the spouse of the offender.

6. Punishment for possession of illicit wealth.— (1) Whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organised crime or proceeds of any organised crime or which has been acquired through the organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees.

(2) If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or at any time has been, in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to imprisonment for ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than one lakh rupees.

7. Enhanced punishment for offences after previous conviction.—Any person who has been convicted of the commission of an offence punishable under this Act shall be punished for the second and every subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which may extend to one and half times of the maximum term of punishment, and also be liable to fine which shall extend to one and half times of the maximum amount of fine:

Provided that the court may, for reasons to be recorded in the judgment, impose a fine exceeding the fine for which a person is liable.

CHAPTER –III
SEIZURE, ATTACHMENT AND DISPOSAL OF THE PROPERTY

8. Seizure of property.—(1) Where a police officer, not below the rank of the Deputy Superintendent of Police, has reason to believe that any property is derived or obtained, directly or indirectly, as a result of commission of any offence under this Act, is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make a reasoned order in writing for seizing such property and a copy of such order shall be served on the person concerned.

(2) The police officer, who seizes the property under sub-section (1) shall report the seizure as expediciously as possible, and in any case within 48 hours from such seizure, report to the Court or the Magistrate having jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case apprising about the circumstances under which the property was seized and thereafter the property shall be dealt with as per the order of the Court or Magistrate, as the case may be.

9. Attachment forfeiture or restoration of property.—(1) Where a police officer making an investigation has reason to believe that any property is derived or obtained, directly or indirectly, as a result of commission of any offence under this Act, he may, with the approval of the Superintendent of Police or Commissioner of Police, make an application to the Court or the Magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case, for the attachment of such property.

(2) If the Court or the Magistrate has reasons to believe, whether before or after taking evidence, that all or any of such properties are proceeds of crime, the Court or the Magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show cause within a period of fourteen days as to why an order of attachment shall not be made.

(3) Where the notice issued to any person under sub-section (2) specifies any property as being held by any other person on behalf of such person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(4) The Court or the Magistrate may, after considering the explanation, if any, to the show-cause notice issued under sub-section (2) and the material fact available before such Court or Magistrate and after giving a reasonable opportunity of being heard to such person or persons, may pass an order of attachment, in respect of those properties which are found to be the proceeds of crime:

Provided that if such person does not appear before the Court or the Magistrate or represent his case before the Court or Magistrate within a period of fourteen days specified in the show-cause notice, the Court or the Magistrate may proceed to pass the ex-parte order.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), if the Court or the Magistrate is of the opinion that issuance of notice under the said sub-section would defeat the object of attachment, the Court or Magistrate may by an interim order passed ex-parte direct attachment of such property, and such order shall remain in force till an order under section 10 is passed.

10. Management of properties seized or attached under this Chapter.—(1) The Court may appoint the District Magistrate of the area where the property is situated, or any other officer as may be nominated by the District Magistrate, to perform the functions of an Administrator of such property during the period of seizure or attachment, as the case may be.

(2) The Administrator appointed under sub-section (1) shall receive and manage the property in relation to which the order has been made under section 8 or under section 9 as per the orders of the Court.

11. Disposal of property.—(1) If the property is subject to speedy and natural decay, or if the Court or Magistrate, as the case may be, is of the opinion that its sale will be beneficial, or that the value of such property is less than ten thousand rupees, the Magistrate may at any time direct it to be sold.

(2) If the Court or the Magistrate finds the attached or seized properties to be the proceeds of crime, the Court or the Magistrate shall by order direct the District Magistrate to rateably distribute such proceeds of crime to the persons who are affected by such crime.

(3) On receipt of an order passed under sub-section (1), the District Magistrate shall, within a period of sixty days distribute the proceeds of crime either by himself or authorise any officer subordinate to him to effect such distribution.

(4) If there are no claimants to receive such proceeds or no claimant is ascertainable or there is any surplus after satisfying the claimants, such proceeds of crime shall stand forfeited to the Government and shall be disposed of in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

CHAPTER-IV
COMPOUNDING OF OFFENCES

12. Compounding of offences.—(1) An offence punishable under this Act with minimum punishment of three years or less than three years and with fine, may be compounded by the Government or an officer not below the rank of a Secretary to the Government designated by the State Government by notification, in the manner as may be prescribed for a sum of seventy-five per cent. of the maximum fine provided for such offence:

Provided that if the offence being compounded has caused hurt to any person, such offence shall not be compounded without the consent of that person:

Provided further that if the court has taken cognizance of the offence, such offence shall be compounded with the permission of that court.

(2) No offence shall be compounded if the accused is, by reason of a previous conviction, liable to the enhanced punishment under section 7.

(3) The composition of an offence under this section shall have the effect of acquittal of the accused.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

13. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any officer of the Government or any other person exercising any powers or discharging any functions or performing any duties under this Act, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

14. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative assembly.

15. Power to make rules.—(1) The Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh; and after previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than fifteen

days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the Assembly makes any modification(s) in the rules or the Assembly decides that the rules should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier thereunder.

16. Act not in derogation of any other law.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force regulating any of the matters dealt with in this Act except specifically provided in this Act.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

Organised crime poses a significant threat to public order, economic stability, and the overall security of society. Thus, the necessity of dedicated legal framework to effectively address this menace was being felt. The Himachal Pradesh Organised Crimes (Prevention and Control) Bill, 2025 aims to tackle organised crime, safeguarding public safety and economic stability. Key features include:

1. Broad Definition: The Bill expands the definition of organised crime to cover activities such as drug trafficking, cyber-terrorism, human organ trade, and healthcare fraud, addressing evolving criminal threats.

2. Strict Punishments: It prescribes severe penalties, including the death penalty or life imprisonment for crimes causing death, along with heavy fines and strict prison terms for other offences.

3. Repeat Offender Penalties: Enhanced punishments are introduced for repeat offenders to deter persistent criminal behaviour.

4. Targeting Financial Networks: The Bill includes provisions for seizing properties linked to crime syndicates, weakening their financial foundations.

5. Preventive Measures: The Bill empowers the officers with greater authority to investigate and seize properties suspected to be linked with crime syndicates.

6. Officer Protection: Legal protection is provided for officers acting in good faith during investigations.

7. Flexible Implementation: The State Government is being empowered to remove difficulties in implementing the provisions of proposed law and make rules.

This Bill seeks to curb organised crime in Himachal Pradesh while ensuring justice and public security.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:
The ……, 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

— NIL —

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 15 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purpose of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 27 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–112 / 2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक (2025 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 27 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2025 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 49 का संशोधन।

4. धारा 50 का संशोधन।
5. धारा 51 का संशोधन।
6. धारा 63 का संशोधन।
7. धारा 63 क का अन्तःस्थापन।
8. धारा 68 क का अन्तःस्थापन।
9. धारा 170–क का अन्तःस्थापन।

————————

2025 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

.(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम,1954 (1954 का अधिनियम संख्याक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छिहत्तरतें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 4 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 के खण्ड (9) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–

(9) ''भू–स्वामी'' से, भूमि का भू–स्वामी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति है जिसको इस अधिनियम के अधीन भू–राजस्व के बकाया या इस प्रकार बकाया के रूप में वसूलीय रकम की वसूली के लिए कोई जोत अन्तरित की गई है या खेत में कोई सम्पदा या उप–सम्पदा या जोत किराए पर दी गई है तथा इस खण्ड में यहां इसमें वर्णित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई सम्पदा या कोई उप–सम्पदा या उसका कोई अंश या भाग है या जो किसी सम्पदा या उप–सम्पदा के लाभों के किसी भाग का उपभोग करता है, सिवाय किसी अतिचारी के, जो भूमि के अधिभोग का हकदार नहीं है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई काश्तकार या भू–राजस्व का अभिहस्तांकिती नहीं हैं;''।

3. **धारा 49 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 49 की उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः–

''(2क) उप धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, वहां यह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्णतया या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी भूमि को, भू–राजस्व के संदाय से सम्पूर्ण दायित्व या उसके किसी भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकेगी।''।

4. **धारा 50 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 50 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः–

(ख) निर्धारण वृत्त या उसके भाग में अकृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि के विशेष निर्धारण की दशा मेः–

(i) स्थलों के प्रवर्ग, और वर्ग के औसत शुद्ध भाटक मूल्य, या

(ii) जहां किसी भी कारण से, शुद्ध भाटक मूल्य अभिनिश्चय करना सम्भव न हो, तो यथा अवधारित विहित रीति में औसत बाजार मूल्य पर;

(iii) किसी अन्य आधार पर जैसा कि विहित किया जा सकेगाः

परन्तु निर्धारण को जारी रखने हेतु नियत अवधि या धारा 51 में उपबंधित सीमा या किसी क्षेत्र को शहरी निर्धारण वृत्त घोषित किए जाने के होते हुए भी जब धारा 63 के अधीन विशेष निर्धारण किया जाता है तो भू–राजस्व, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, एक मुश्त या किस्तों में संदेय नियत वार्षिक प्रभार के रूप में निर्धारित किया जा सकेगा।

5. **धारा 51 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 51 के खण्ड (ख) में, "दो से" शब्दों का लोप किया जाएगा।

6. **धारा 63 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 63 में,–

(क) उप–धारा (1) में,

(i) खण्ड (ख) में, "या अनुदत्त होने पर" शब्दों के स्थान पर; "गैर वन प्रयोजनों के लिए अनुदत्त या अपयोजित की गई वन भूमि होने पर;" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खण्ड (छ) में, "इस प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर "परियोजनाओं या किसी अन्य प्रयोजन जो विहित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप–धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1क) विशेष निर्धारण के प्रयोजन के लिए राजस्व अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विभाग या प्राधिकरण या अभिकरण की सहायता ले सकेगा।

(1ख) राजस्व अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी उचित समय पर किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और इस अध्याय के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए जानकारी ले सकेगा।

7. **धारा 63–क का अन्तःस्थापन**.––मूल अधिनियम की धारा 63 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"63–क पर्यावरण उपकर.–(1) राज्य सरकार, धारा 63 के अधीन निर्धारित भू–राजस्व पर दो प्रतिशत से अनधिक पर्यावरण उपकर ऐसी दर और ऐसी रीति से उदगृहीत और संगृहीत कर सकेगी जैसी विहित की जाए।

(2) उप–धारा (1) के अधीन संगृहीत किए गए उपकर को जमा करने के लिए "पर्यावरण निधि" नामतः निधि स्थापित कर दी जाएगी।

(3) निधि, राज्य में पर्यावरण संरक्षण प्रारम्भ करने के लिए उपयोग की जाएगी।''।

8. **धारा 68–क का अन्तःस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 68 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"68–क. भू–राजस्व या उपकर के संदाय में विलम्ब के लिए संदेय ब्याज.––यदि कोई भू–स्वामी भू–राजस्व या उपकर संदत्त करने में असफल रहता है, तो वह देय भू–राजस्व पर उस तारीख से जिसमें ऐसा संदाय देय है, प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज संदत्त करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब तक कि ऐसी रकम वास्तव में संदत्त नहीं कर दी जाती है।";

9. धारा 170–क का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 170 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"170–क. विधिक कार्यवाहियों का वर्जन.–इस अधिनियम या उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या अधिसूचना या जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या कि जाने वाली आशयित किसी बात के लिए राजस्व अधिकारी या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी।"।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954, राज्य में भू–राजस्व प्रशासन को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा है। पिछले कुछ वर्षों में, व्यावहारिक चुनौतियों और उभरती आवश्यकताओं ने प्रभावी राजस्व प्रबंधन, बेहतर प्यावरण संरक्षण उपायों और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कतिपय उपबंधों में संषोणन की आवश्यकता को जन्म दिया है। जनहित में निर्दिष्ट भूमि को भू–राजस्व भुगतान से छूट देने का उपबंध किया जा रहा है। यह उपबंध जन कल्याण और विकास के लिए लक्षित छूट के लिए लचीलापन सुनिश्चित करता है। "पर्यावरण उपकर" की शुरूआत से एक समर्पित "पर्यावरण कोष" का सृजन होगा। इस कोष का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों के साथ संगत पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रयासों के लिए किया जाएगा। भू–राजस्व या उपकर के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज लगाने का उपबन्ध जोड़ा जा रहा है। इस उपाय का उद्येश्य भू–राजस्व आदि के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करना है। प्रस्तावित विधेयक अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्ण कार्य करने वाले राजस्व अधिकारियों और अन्य अधिकृत व्यक्तियों के लिए कानूनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। यह सुरक्षा अधिकारियों को बिना किसी अनावश्यक चिंता के अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, प्रस्तावित विधेयक का उद्येश्य राजस्व प्रशासन को मजबूत करना, पर्यावरण जवाबदेही सुनिश्चित करना और प्रक्रियात्मक दक्षता में सुधार करना है। ये संशोधन जनहित में है और राज्य में भू–राजस्व कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

शिमला :
तारीख:.....2025

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 4, 6 और 7 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु सशक्त करते हैं। शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2025

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्याक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
प्रधान सचिव विधि।

शिमला :
तारीखः....., 2025

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 7 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 49.
4. Amendment of section 50.
5. Amendment of section 51.
6. Amendment of section 63.
7. Insertion of section 63A.
8. Insertion of section 68A.
9. Insertion of section 170A.

———————

Bill No. 7 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 4.—In the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in section 4, for clause (9), the following shall be substituted, namely:—

"(9) "landowner" means an owner of land, and includes a person to whom a holding has been transferred, or an estate or sub-estate or holding has been let in farm, under this Act for the recovery of an arrear of land revenue or of a sum recoverable as such an arrear, and every other person not hereinbefore in this clause mentioned who is in possession of an estate or sub-estate or any share or portion thereof, or in the enjoyment of any part of the profits of an estate or sub-estate, except a tress passer who is not entitled to occupy the land; but does not include a tenant or an assignee of land revenue;".

3. Amendment of section 49.—In section 49 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the State Government is satisfied that it is necessary in the public interest to do so, it may by notification in the Official Gazette, exempt generally, either absolutely or subject to such conditions as may be specified therein, any land, from the whole or any part of the liability of payment of land revenue with effect from such date as may be specified in such notification.".

4. Amendment of section 50.—In section 50 of the principal Act, for clause (b), the following shall be substituted, namely: —

(b) in the case of special assessment of land put to non agricultural use in an assessment circle or part thereof,—

(i) the average net letting value of a category and class of sites; or

(ii) where for any reason it is not possible to ascertain the net letting value, on the average market value of sites as determined in the manner prescribed; or

(iii) on any other basis as may be prescribed:

Provided that when a special assessment is made under section 63, notwithstanding the period fixed for the continuance of an assessment or the limit provided in section 51 or the area having been declared to be an urban assessment circle, the land revenue may be assessed as a fixed annual charge payable in a lump sum or by instalments in accordance with the rules made under this Act.

5. Amendment of section 51.—In section 51 of the principal Act, in clause (b), the words "two to" shall be omitted.

6. Amendment of section 63.—In section 63 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) in clause (b), for the words "or granted", the sign and words ", granted or forest land diverted for non forest purposes" shall be substituted; and

(ii) in clause (g), for the words "and other similar purposes", the sign and words ", projects or any other purpose as may be prescribed" shall be substituted; and

(b) after sub-section (1), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(1A) For the purpose of special assessment, the Revenue Officer, may take the assistance of any department or authority or agency, as may be notified, by the State Government.

(1B) The Revenue Officer or any other person, duly authorised by him, may enter at any reasonable time any place and take information for carrying out the purpose of this chapter.".

7. Insertion of section 63A.—After section 63 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"63A. Environment Cess.—(1) The State Government may levy and collect environment cess not exceeding two percent on the land revenue assessed under section 63 at such rate and in such manner, as may be prescribed.

(2) There shall be established a fund called "Environment Fund" to credit the cess collected under sub-section (1).

(3) The fund shall be utilised for taking initiatives for protecting environment in the State.".

8. Insertion of section 68A.—After section 68 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely: —

"68A. Interest payable for delay in payment of land revenue or cess.— If any landowner fails to pay land revenue or cess, he shall be liable to pay interest on the land revenue due at the rate of one percent for every month or part of a month from the date on which such payment is due till such amount is actually paid.".

9. Insertion of section 170A.—After section 170 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"170A. Bar to legal proceedings.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any Revenue Officer or any person for anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance to the provisions of this Act or any rule or notification made or orders issued there under.".

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, is a comprehensive legal framework governing land revenue administration in the State. Over the years, practical challenges and emerging needs have necessitated amendments in certain provisions to ensure effective revenue management, improved environmental protection measures, and increased administrative

efficiency. A provision is being made to exempt specified lands from land revenue payments in the public interest. This provision ensures flexibility for targeted exemptions for public welfare and development. The introduction of an "Environment Cess" will create a dedicated "Environment Fund." This fund will be utilised for initiatives aimed at environmental protection compatible with sustainable development goals. A provision is being inserted on impose interest for delayed payments of land revenue or cess. This measure intends to encourage timely payments of land revenue, etc. The proposed Bill also ensures legal protection for Revenue Officers and other authorised individuals acting in good faith under the Act. This safeguard is crucial to empower officials to discharge their duties without undue concern.

Thus, the proposed Bill aims at to strengthen the revenue administration, ensuring environmental accountability and improving procedural efficiency. The amendments are in public interest and essential for the effective implementation of land revenue laws in the State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The ……, 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 4, 6 and 7 of the Bill seek to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2025

A
BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Principal Secretary (Law)

SHIMLA:
The , 2025.

HIMACHAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION FAIRLAWNS, SHIMLA-171012

NOTIFICATION

Dated, the 27th March, 2025

No. HIPA (Exam) – 12/75-19.— In exercise of the powers conferred by Rule 24(2) of H.P. Board of Departmental Examination Rules, 1997 as Notified by Government of Himachal Pradesh, Department of Personnel (Training & Foreign Assignments) *vide* Notification No. Per (Trg.) B(12)-40/95, dated 13-03-1997, the H.P. Board of Departmental Examination in consultation with the H.P. Public Service Commission hereby carry out following amendments by substituting clauses relating to Syllabus for the Departmental Examination prescribed for IAS/HAS{Paper-1 (Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure) and Paper-2 (criminal Case)}, Tehsildar /Naib Tehsildar {Paper -5(Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure),State Tax Officer in the Department of State Taxes and Excise {Paper-1 (Law of Crimes)}, Assistant Commissioner of State Taxes & Excise Department (ACSTE) {Paper-3 (Excise and Criminal Laws)}, Police {Paper-3 (Procedural Law), Paper-4 (a) (Criminal Law}as per Appendix attached hereto. This Syllabus as mentioned in Annexure-III shall stand amended and replace the existing Syllabus for Departmental Examinations in respect of Officers as detailed in schedule 'A, C & E' attached to the Departmental Examination Rules, 1997, namely:—

1. Short title and commencement:	(i) These Rules shall be called the Himachal Pradesh Departmental Examinations (Fifteenth Amendment) Rules, 2025. (ii) These Rules shall come into force from the date of Publication in Rajpatra, Himachal Pradesh or from May-June 2025 session onwards whichever is later.
2. Amendment of Rule 24(1) Paper and Syllabus	For the existing provision against Sub Rule(1) of Rule 24, the Syllabus/nomenclature for the Departmental Examination IAS/HAS{Paper-1 (Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure) and Paper-2 (Criminal Case)}, Tehsildar / Naib Tehsildar {Paper -5(Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure), State Tax Officer in the Department of State Taxes and Excise {Paper-1 (law of Crimes)}, Assistant Commissioner of State Taxes & Excise Department (ACSTE) {Paper-3 (Excise and Criminal Laws)}, Police {Paper-3 (Procedural Law), Paper-4 (a) (Criminal Law} mentioned in Schedule A,C&E shall be amended and also added new syllabus as shown in Appendix to these Rules.

The above Paper & syllabus is implemented for the session of examination to be held during May, 2025.

Sd/-
Secretary,
H.P. Board of Departmental Examination,
Fairlawns, Shimla-171012.

ANNEXURE-III

Name of the Department		**Training & Foreign Assignment H.P.**
Name of Rules		**The Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997**
Amendment against the Syllabus	**Existing Provision**	**Amendment approved by Commission**
Syllabus for **IAS/HAS**	**Paper 1:Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure** **Part A:** 1. Indian Penal Code, 1860 as amended upto date. 2. Criminal Procedure Code, 1974 3. Indian Evidence Act, 1872 **Part B:** Code of Civil Procedure, 1908 **Paper 2: Criminal Case** 1. The record of any contested preventive proceedings under code the criminal Procedure, 1974, may be given and the candidate required framing the preliminary order/conditional order and writing out the final order. 2. The record of a contested case pertaining to an offence under the Indian Penal Code, 1860 or on the Special Acts like the Arms, Act, 1959 etc. triable ordinarily by a Magistrate of the First Class will be supplied to the candidate who will be required to frame charge/changes and write out the judgment.	**Paper 1: Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure** **Part A:** 1. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. 2. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 3. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023. **Part B:** Code of Civil Procedure, 1908 **Paper 2: Criminal Case** 1. The record of any contested preventive proceedings under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, may be given and the candidate required to frame the preliminary order/conditional order and write out the final order. 2. The record of a contested case pertaining to an offence under the Baratiya Nyaya Sanhita, 2023 Act No. 45 of 2023 or on the Special Acts like the Arms, Act, 1959 etc. triable ordinarily by a Magistrate of the First Class will be supplied to the candidate who will be required to frame charge/changes and write out the judgment.

Syllabus for **Tehsildar / Naib Tehsildar**	**Paper-5: Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure:** **Part A** 1. Indian Penal Code, 1860 as amended upto date. 2. Criminal Procedure Code, 1974. 3. Indian Evidence Act, 1872. **Part B** Code of Civil Procedure, 1908	**Paper-5: Criminal Law and Procedure & Code of Civil Procedure** **Part A** 1. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 2. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 3 The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023. **Part B** Code of Civil Procedure, 1908
Syllabus for **State Tax Officer Department of State Taxes & Excise**	**Paper No.-I {Law of Crimes}** **Part I: 40 Marks** Indian Penal Code, Act No. XIV of 1860 as amended by the Government of India upto date. Chapters I to V, Section 141 (UNLAWFUL ASSEMBLY) Section 142, 143, 146, 147, 159, Chapter IX, XXI, XVI (Section 299, 300, 307, 308, 319 to 358) (offences of theft, extortion, criminal misappropriation of property, criminal trespass and forgery including making false documents, punishment for forgery and criminal intimidation) **Part-II: 40 Marks** The Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as amended by the Government of India upto date. Chapters: I, II (Section 11, 12), V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXIX, XXXIII, XXXV. **Part-III: 20 Marks:** Indian Evidence Act, 1872 Act No. 2 of 1871 (as amended upto date)	**Paper No.-I {Law of Crimes}** **Part I: 40 Marks** Bhartiya Nayay Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023) Chapters-I to IV, XIII, XVII, XVIII and XIX. **Part-II: 40 Marks:** The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) Chapters-I, II (Sections 9, 10),V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXX, XXXIV, XXXVI. **Part-III: 20 Marks:** The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act No. 47 of 2023)

Syllabus for **Assistant Commissioner (ACSTE) of State Taxes & Excise Department**	**Paper-3 Excise and Criminal Laws:** **Part-I: 30 Marks** a. Indian Penal Code b. Code of Criminal Procedure c. Indian Evidence Act d. General Clauses Act and rules, Orders, and notification issued under enactments listed from (a) to (d) **Part-II: 55 Marks** a. H.P. Excise Act, 2011 b. Punjab Excise Act, 1914 as applicable to the state of H.P. c. Narcotics Drugs & Psychotropic Substance Act. d. Rules, Orders & Notifications issued under enactments listed from (a) to (d) ***Part-III: 15 Marks*** a. Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 w.r.t. recovery of arrears. b. Standing orders of Financial Commissioner on recoveries and provisions w.r.t. creation & deletion lines /change attachement, sale and auctions. c. Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and land Reforms Act, 1972.	**Paper-3 Excise and Criminal Laws:** **Part-I: 30 Marks** a. The Bhartiya Nayay Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023) b. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) c. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act No. 47 of 2023) d. General Clauses Act and rules, Orders, and notification issued under enactments listed form (a) to (d) **Part-II: 55 Marks** a. H.P. Excise Act, 2011 b. Punjab Excise Act, 1914 as applicable to the state of H.P. c. Narcotics drugs & Psychotropic Substance Act. d. Rules, Orders & Notifications issued under enactments listed from (a) to (d) **Part-III: 15 Marks** a. Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 w.r.t. recovery of arrears. b.Standing Orders of Financial Commissioner on recoveries and provisions w.r.t. creation & deletion of lines/change attachment, sale and auctions. c. Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and land Reforms Act, 1972.
(Police)	**Paper: 3 Procedural law** **(a) The code of Criminal Procedure, 1973** Chapter 1- Section (1 to 5) Chapter 2- Section (6, 9 to 15) Chapter 3- Section 26 to 35 Chapter 4- Section 36 to 40 Chapter 5- Section 41 to 60A Chapter 6- Section 61 to 87 Chapter 7- Section 91 to 95, 97 to 102 Chapter 8- Section 106 to 124 Chapter 10- Section 129 to 131,	**Paper: 3 (a) The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (60 Marks):** Chapter I - Section 1 to 5 Chapter II - Section 6, 8 to 13 Chapter III - Section 21 to 29 Chapter IV - Section 30 to 34 Chapter V - Section 35 to 62 Chapter VI - Section 63 to 90 Chapter VII - Section 94 to 98, 100 to 106 Chapter VIII - Sections 112, 113 Chapter IX - Section 125 to 143

	144 to 148 Chapter 11 Section 149 to 153 Chapter 12 Section 154 to 165, 166A, 166B to 176 Chapter 13- Section 177 to 185, 188 Chapter 14 –Section 190 to 194, 198 A Chapter 15- Section 200 to 203 Chapter16- Section 206 to 210 Chapter 17- Section 211 to 213, 218 to 224 Chapter 19- Section 238 to 243, 250 Chapter 20- Section 251 to 259 Chapter 21- Section 260 to 262 Chapter 22- Section 266 to 271 Chapter 23- Section 292 to 296, 298 to 300 Chapter 24- Section 304 to 309, 313, 315 to 317, 320, 321 Chapter 27- Section 356 to 361 Chapter 33- Section 436 to 442 Chapter 34- Section 451, 452 Chapter 35- Section 466 Chapter 36- Section 467 to 469 Chapter37- Section 475	Chapter XI - Section 148 to 150, 163 to 167 Chapter XII - Section 168 to 171 Chapter XIII - Section 173 to 185, 187 to 196 Chapter XIV - Section 197 to 205, 208 Chapter XV – Section 210 to 214, 220 Chapter XVI - Section 223 to 226 Chapter XVII - Section 229 to 233 Chapter XVIII - Section 234 to 236, 241 to 247 Chapter XX - Section 261 to 266, 273 Chapter XXI - Section 274 to 282 Chapter XXII - Section 283 to 285 Chapter XXIV - Section 301 to 306 Chapter XXV - Section 328 to 332, 334, 335 Chapter XXVI - Section 337, 341 to 346, 351, 353 to 355, 359, 360 Chapter XXIX - Section 394 to 402 Chapter XXXV - Section 478 to 487 Chapter XXXVI - Section 497, 498 Chapter XXXVII - Section 512 Chapter XXXVIII - Section 513 to 515 Chapter XXXIX - Section 521
	(b) The Indian Evidence Act 1872 (Marks 40): Chapter-I Section 1 to 4 Chapter II- Section 5 to 11, 14 to 22, 24 to 30, 32, 34 to 38, 45 to 51, 53 to 56. Chapter III- 57, 58 Chapter IV- 59, 60 Chapter V- 61 to 67, 74 to 81, 83 to 90 Chapter VII- Section 101 to 112, 113A, 113B, 114 Chapter IX- Section 118 to 126, 132 to 134 Chapter X- Section 137 to 157, 159 to 165	**(b) The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Marks 40):** Chapter-I –Section 1, 2, Chapter II- Sections 3 to 9, 12 to 20, 22 to 24, 26, 28 to 32, 39 to 45, 47 to 50, Chapter III Section 51, 52, 53, Chapter IV- Section 54, 55, Chapter V- Section 56 to 65, 74 to 80, 82 to 92, Chapter VII- 104 to 119 Chapter IX- 124 to 132, 137 to 139, Chapter X- Section 142 to 160, 162 to 168 Chapter XII-Section 170.

(Police)	**Paper: 4 Criminal Law** **(a) Indian Penal Code Existing Syllabus (60 Marks)** Chapter II- Section 6 to 52A Chapter III- Section 75, Chapter IV- Section 76 to 106, Chapter V- Section 107 to 116, Chapter VIII- Section 141 to153 A Chapter X- 172 to 190 Chapter XI- section 191 to 193, 211 to 225 B Chapter XIV- Section 279 to 289, 294, 299 to 309, Chapter XVI- Section 319 to 342, 347 to 354, 359 to 369, 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D and 377, Chapter XVII- Section 378 to 420, 425 to 462. Chapter XXA- Section 498A, Chapter XXII- 503, 506 and 509.	**Paper-4 Criminal Law:** **(a) The Bharratiya Nyaya Sanhita; 2023 (60 Marks)** Chapter I- Section 2(1), 2(2), 2(4), 2(5), 2(6), 2(7), 2(8), 2(9), 2(10), 2(11), 2(12), 2(13), 2(14), 2(15), 2(16), 2(17), 2(18), 2(19), 2(20), 2(21), 2(22), 2(23), 2(24), 2(25), 2(26), 2(27), 2(28), 2(29), 2(30), 2(31), 2(32), 2(33), 2(34), 2(35), 2(36), 2(37), 2(38), 2(39), 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6), 3(7), 3(8), 3(9), Chapter-II- Section 13 Chapter III- Section 14 to 44, Chapter IV- Section 45 to 56 Chapter V- Section 63 to 70, 74, 79, 85, 87, 96, 97 Chapter VI- Section 100 to 110, 114 to 127, 127 to 132, 137 to 140, 141, 142. Chapter XI – Section 189 to 196 Chapter XIII- Section 206 to 225, 226 Chapter XIV- section 227 to 229, 248 to 265 Chapter XV- Section 281 to 291, 296, Chapter XVII- Section 303 to 318, 324 to 334, **Chapter XIX- Section 351**

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th March, 2025

File No. FFE-B-A(3)-8/2020-Loose.—In exercise of the power vested under Section 36B of Wildlife Protection (Amendment) Act, 2022, the Governor Himachal Pradesh is pleased to constitute the "Conservation Reserve Management Committee" for the Potters Hill Conservation Reserve to advise the Chief Wildlife Warden (HP) on conservation, management, and maintenance of the Potters Hill Conservation Reserve, as under for effective management:—

Sl. No	Particular of member	Designation in committee	Contact's detail
1.	Deputy Director Animal Husbandry.	Member	Director Animal Husbandry Bioleauganj Shimla H.P . 0177-2830087.
2.	District Agriculture Officer.	Member	o/o Deputy Director Agriculture Shimla HP 8219751029.

3.	Pradhan Chaily Gram Panchayat.	Member	Panchayat Chaily, P.O. Chaily, Tehsil & Distt. Shimla H.P. 8219122884.
4.	Pradhan Sanog Gram Panchayat.	Member	Panchayat Sanog, P.O. Neri, Teh. & Distt. Shimla HP 7218146348.
5.	World Wide fund for nature-India (WWF-India).	Member (Nominated NGO)	(WWF-India) 172 B Lodhi, Estate, East Delhi- 110003, Telephone No. 041141504815.
6.	Healing Himalayas	Member (Nominated NGO)	Healing Himalayas, B-24 Anarkali Garden, Jagatpuri Delhi 1100051. Telephone No. 7827097975.
7.	Himalayas Research Group.	Member (Nominated NGO)	Himalayan Research Group (HRG), Carlie Villa Annexe Chhota Shimla, -171002. Telephone No. 160026820. Mail ID lalhrg@gmail.com
8.	DCF WL Shimla	Member Secretary	Wildlife Division Shimla Mist Chamber Khalini, Shimla 0177-2623993.

The "Conservation Reserve Management Committee" will send its recommendations, including APO, for the Potters Hill Conservation Reserve to the Chief Wildlife Warden, HP for approval. The Conservation Reserve Management Committee will meet at least once in six months and the tenure of the Committee will be from the date of Notification till 31-03-2027.

By order,

Additional Chief Secretary (Forest).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 26 मार्च, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–109 / 2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 4) जो आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र (ई–गजट) में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –
(यशपाल)
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2025 का विधयेक संख्यांक 4

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. अनुसूची 1–क का संशोधन।
3. निरसन और व्यावृत्तियां।

2025 का विधयेक संख्यांक 4

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2025

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह 18 फरवरी 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. अनुसूची 1–क का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में,–

(क) अनुच्छेद 23 के परंतुक के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन सम्पत्ति हस्तांतरण की अनुज्ञा प्रदान की गई है वहां स्टाम्प शुल्क, लिंग का विचार किए बिना, बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन, तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित ।''।

(ख) अनुच्छेद 35 में,–

(i) खंड (क) के परंतुक के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी, न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित।

हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अधीन अनुज्ञेय की धारा 118 (2)(ज) ऐसे मामलों में पट्टे विलेख पर स्टाम्प शुल्क के परिकलन हेतु फार्मूलाः–

बारह प्रतिशत × बाजार मूल्य × (पट्टे की अवधि) / 100 ।''; और

(ii) खंड (ख) के अंत में चिन्ह ''।'' के स्थान पर ''ः'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2)(ज) के अधीन पट्टे पर दी गई सम्पत्ति की अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां स्टाम्प शुल्क पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य या पट्टे की सम्पूर्ण रकम जो ऐसे पट्टे के अधीन संदत्त या परिदत्त करनी हो, यदि कोई हो, जो भी अधिक हो, के बारह प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी", न्यूनतम एक सौ रूपए के अध्यधीन तथा दस रूपए के निकटतम तक पूर्णांकित.".।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

––––––––––––

उदेश्यों और कारणें का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन विभिन्न लिखतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरें तर्कसंगत नहीं पाई गई हैं और उन्हें चरणबद्ध रीति में संशोधित किया जा रहा है। क्योंकि इस अधिनियम में राज्य सरकार की अनुज्ञा से हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 (2) (ज) के अधीन अंतरित संपत्ति के लिए लिखतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरें वर्णित नहीं हैं, अतः अनको विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन किया जाना अत्यावश्यक था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2025 को 13 फरवरी 2025 को प्रख्यापित किया गया था और इसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 18 फरवरी, 2025 को प्रकाशित किया गया था। उक्त अध्यादेश को अब नियमित अधिनियमति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है

यह विधेयक, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मन्त्री।

शिमलाः
तारीख....., 2025.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 2025.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Schedule 1-A.
3. Repeal and Savings.

Bill No. 4 of 2025.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 18th day of February, 2025.

2. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable to the State of Himachal Pradesh, in the Schedule 1-A,-

(a) in article 23, in the proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that where permission for conveyance of property is granted by the State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the Stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value or the consideration amount, whichever is higher, irrespective of gender, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.";

(b) in article 35,-

(i) in clause (a), at the end, for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972; the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.

Formula for calculating stamp duty on lease deeds in such cases of permission under section 118(2) (h) of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972:—
12% x market value x (period of lease)/100"; and

(ii) in clause (b), at the end for the sign "." the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where permission for lease of property is granted by State Government under section 118(2)(h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972, the stamp duty shall be charged at the rate of 12% of the market value of the leased property or the whole lease amount which would be paid or delivered under such lease, if any, whichever is higher, subject to the minimum of rupees one hundred and duty rounded off to nearest rupees ten.".

3. Repeal and Savings.—(1) The Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Odinance, 2025 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECT AND REASONS

The rates of stamp duty in respect of various instruments under the Indian Stamp Act, 1899 as applicable in the State of Himachal Pradesh have not been found to be rationale and are being revised in a phased manner. Since, in the Act, rates of stamp duty in respect of instruments for transferring the property with the permission of the State Government under section 118 (2) (h) of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 have not been mentioned, therefore, they are required to be specified.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Himachal Pradesh, was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Odinance, 2025 on the 13th day of February, 2025 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on the 18th day of February, 2025. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without modification.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The....., 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

ब अदालत व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 / 2025 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी / 2024 / तारीख दायर : 19–03–2025

श्रीमती बिंदी कुमारी पुत्र श्री दितू, गांव धमला, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

ईश्तहार / मुश्त्री मुनादी,

श्रीमती बिंदी कुमारी पुत्र श्री दितू, गांव धमला, परगना त्रयोदी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड में श्रीमती बिंदी कुमारी पुत्री श्री दितू दर्ज है जोकि बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल करोड़ी पटवार वृत्त पुखरी, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम श्रीमती विन्दी देवी पुत्री श्री दितू दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि के उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम श्रीमती विन्दी देवी पुत्री श्री दितू की जगह श्रीमती बिंदी कुमार पुत्री श्री दितू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त पुखरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19–03–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी अधिकारी ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार पुत्र श्री खैमदी राम, निवासी गांव अप्पर मामूल, डाकघर घटासनी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री खैमदी राम, निवासी गांव अप्पर मामूल, डाकघर घटासनी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी सगी बहन की मृत्यु तिथि 09–10–2023 है, जोकि ग्राम पंचायत घटासनी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बहन की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत घटासनी, उप–तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21–04–2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी अधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 11 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–160–61 दिनांक : 20–03–2025

श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2882 Dated 30-01-2025.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण–पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदिका श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती कांता की पुत्री पल्लवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 30–01–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि 26–01–2007 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित

अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिग्गा की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिग्गा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–162–63 दिनांक : 20–03–2025

जोधा राम पुत्र जगो, गांव झौडा, परगना जुंड, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

जोधा राम पुत्र जगो, गांव झौडा, परगना जुंड, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आठवीं कक्षा के प्रमाण–पत्र व बच्चों के शिक्षा प्रमाण–पत्र में मेरा नाम जोधा राम दर्ज है जोकि सही है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल झौडा, पटवार वृत्त सेरी, उप–तहसील तेलका में मेरा नाम जोध सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम जोध सिंह के बजाये जोध सिंह उर्फ जोधा राम दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20–03–2025 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–164–65 दिनांक : 20–03–2025

सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी। .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2877 Dated 30-01-2025.
2. शपथ–पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र
5. आधार कार्ड
6. पेन कार्ड

जिसमें आवेदक श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री सुरिंदर कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 30–01–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20–07–1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सालवा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–166–67 दिनांक : 20–03–2025

बिट्टू राम पुत्र बिन्दरो राम, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत द्रेकड़ी, विकास खण्ड सलूणी। ..प्रतिवादी।

विषय.––मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4732 Dated 27-02-2025.
2. शपथ–पत्र
3. मृत्यु रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण–पत्र
5. आधार कार्ड
6. पेन कार्ड

जिसमें आवेदक श्री बिट्टू राम पुत्र बिन्दरो राम, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता बिन्दरो राम की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरुप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री बिट्टू राम के पिता बिन्दरो राम की मृत्यु दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 27–02–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री बिन्दरो राम पुत्र कन्ठ, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 25–10–1993 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में बिन्दरो राम पुत्र कन्ठ राम, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव द्रेकड़ी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

In the Court of Tehsildar-cum**-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Smt. Nakhro Devi d/o Sh. Aato, r/o Village Bari, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. ..*Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Nakhro Devi d/o Sh. Aato, r/o Village Bari, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed on affidavit for registration of Delayed Birth of his/her *i.e.* 18-04-1964 for further entry in the records of Gram Panchayat Sachuine, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Nakhro Devi d/o Sh. Aato	18-04-1964

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in the records of concerned Gram Panchayat Sachuine may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 18th day of March, 2025.

Seal. Sd/-

Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum**-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Smt. Savita Devi w/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Jagat, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. ..*Applicants.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Savita Devi s/o w/o d/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Jagat, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for the registration of Delayed Birth of his/her daughter *i.e.* 22-06-2009 for further entry in the records of Gram

Panchayat Jagat, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Tamanna d/o Kuldeep Kumar	22-06-2009

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in the records of concerned Gram Panchayat Jagat may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 18th day of March, 2025.

Seal. Sd/-
Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती देवकी गुंरग पत्नी श्री मीन बहादुर गुरंग, मूल निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती देवकी गुंरग पत्नी श्री मीन बहादुर गुरंग, निवासी नेपाल हाल निवासी गांव व डाकघर बांहग, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी पुत्री कुमारी अंकिता गुरंग की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन–पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि आवेदिका की पुत्री का जन्म दिनांक 19–03–2008 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत शनाग के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि आवेदिका की पुत्री अंकिता की जन्म तिथि 19–03–2008 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को अंकिता पुत्री श्री मीन बहादुर गुरंग की जन्म तिथि दर्ज करने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 07–05–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत शनाग के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरी सिंह यादव, तहसीलदार एवं उप–रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/2025 तारीख पेशी : 10–04–2025

श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) पुत्र श्री गुलाब चंद, निवासी गांव पिरडी, डाकघर मोहल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.–– प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्ती करने बारे।

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) पुत्र श्री गुलाब चंद, निवासी गांव पिरडी, डाकघर मोहल, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अपने नाम दुरुस्ती करने बारे आवेदन–पत्र, मय शपथ पत्र गुजारा है कि आवेदक के स्कूल प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड व आयकर प्रमाण–पत्र में ओम प्रकाश (Om Parkash) की बर्तनी ठीक लिखी गई है जबकि इनके सेवा मुक्ति पुस्तिका में ओम प्रकाश (Om Prakash) बर्तनी गलत दर्ज की गई है जिसे अब वह ठीक करवाना चाहता है इस बाबत प्रमाण–पत्रों की छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) की बर्तनी सभी प्रमाण–पत्रों में ओम प्रकाश (Om Parkash) है, तथा नाम दुरुस्ती करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री ओम प्रकाश (Om Parkash) पुत्र श्री गुलाब चंद की नाम दुरुस्ती करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 10–04–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार सेवा मुक्ति पुस्तिका में नाम दुरुस्त करवाने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 22–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री हरी सिंह यादव, तहसीलदार एवं उप–रजिस्ट्रार, जन्म व मृत्यु, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/2025 तारीख पेशी : 10–04–2025

रूम सिंह उर्फ रोहित ठाकुर

बनाम

आम जनता

विषय.—— प्रार्थना—पत्र बराये नाम परिवर्तित करने बारे।

श्रीमती टिक्की देवी पुत्री श्री अमर चंद हाल पत्नी श्री तीर्थ राम, निवासी चतानी, डाकघर नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि इनका असली नाम टिक्की देवी सुपुत्री श्री अमर चंद है परंतु आधार कार्ड में गुड्डी देवी पत्नी तीर्थ राम दर्ज हुआ है जोकि गलत है गुड्डी देवी से बदलकर टिक्की देवी पत्नी तीर्थ राम करना चाहती है और वह उसे दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारणव सम्बंधिगण को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री अमर चंद हाल पत्नी श्री तीर्थ राम के नाम से श्रीमती टिक्की देवी पुत्री श्री अमर चंद हाल पत्नी श्री तीर्थ राम दुरुस्ती करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10—04—2025 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती दर्ज करने आदेश कागजात में पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 12 / 2025 दिनांक मरजुआ : 12—03—2025 तारीख पेशी : 21—04—2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री मंगत राम पुत्र स्व0 श्री कीमत राम, निवासी गांव कुठेड़ फाटी पलेही, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ..फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू—राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री मंगत राम पुत्र स्व0 श्री कीमत राम, निवासी गांव कुठेड़ फाटी पलेही, उप—तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में दिला लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि उसके पिता का नाम कीमत राम है। ग्राम पंचायत कुठेड़ के रिकार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड में कीमत राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में दिला के स्थान पर कीमत राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में दिला के स्थान पर कीमत राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 21—04—2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर

अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी पलेही में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 13 / 2025 दिनांक मरजुआ : 12–03–2025 तारीख पेशी : 21–04–2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री संगत राम पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव डवारच फाटी लोट, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री संगत राम पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव डवारच फाटी लोट, नित्थर, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में संगती पुत्र श्री बुध राम लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि उसका नाम संगत राम पुत्र श्री बुध राम है। ग्राम पंचायत दुराह के रिकार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान–पत्र, बैंक रिकार्ड में संगत राम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी दुराह में संगती पुत्र श्री बुध राम के स्थान पर संगत राम पुत्र श्री बुध राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में संगती के स्थान पर संगत राम पुत्र श्री बुध राम दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 21–04–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 11 / 2025 दिनांक मरजुआ : 04–03–2025 तारीख पेशी : 21–04–2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह फाटी नित्थर, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ..फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह फाटी नित्थर, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में युवराज लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है, जबकि उसका नाम योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द है। ग्राम पंचायत देहरा के रिकार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक रिकार्ड तथा स्कूल दस्तावेजों में योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में युवराज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द के स्थान पर योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में युवराज के स्थान पर योग राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 21–04–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैर–हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 18–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Shri Uma Dutt, Executive Magistrate Nirmand, District Kullu, H.P.

Shishma Devi ..*Applicants.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Subject.—Registration of delayed birth and death events prior to 09-08-1973.

Smt. Shishma Devi d/o Shri Lal Dass, r/o Village and P. O. Kharga, Distt. Kullu, H.P. has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an afidavit stating that the birth registration of her on dated 09-08-1973 has not been entered in the record of Gram Panchayat Kharga.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relative have any objection regarding entering birth entry of the applicant on 09-08-1973 in the Panchayat record of Gram Panchayat Kharga, he/she/they may file their objections on or before 16-04-2025 before this court. In case of no filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and Signature on this 20th day of March, 2025.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Nirmand, Distt. Kullu, (H.P.).

———————

In the Court of Sh. Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Jaswinder Pal age 32 years s/o Sh. Banta Ram, r/o Village & P.O. Mawa Sindhian, Tehsil Amb, District Una (H.P.).

2. Ms. Kanika Kumari age 25 years d/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village & P.O. Barsar, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Jaswinder Pal and Ms. Kanika Kumari have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 12-03-2025 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir, Tikker Rajputtan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 21-04-2025. In case no objection is received by 21-04-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 20-03-2025.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Sh. Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of :

1. Mr. Rohit age 26 years s/o Sh. Satpal Singh, r/o Village & P.O. Ropari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Ms. Debikala BK age 27 years d/o Sh. Shashi Ram Kami, r/o Village & P.O. Banphukhola, Nagar Palika Bagchaur, District Salyan Nepal .. *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Rohit and Ms. Debikala BK have filed an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned, in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 13-03-2025 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir, Tikker Rajputtan, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this marriage, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 22-04-2025. In case no objection is received by 22-04-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 21-03-2025.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*SDM,*
Sub-Division Barsar, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी :

हल्या देवी बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.––हल्या देवी विधवा जगदीश चन्द, निवासी वार्ड नं0 3, गांव व डाकघर स्पैडू, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि मेरा नाम (Halya Devi) हल्या देवी है जबकि आधार

कार्ड में मेरा नाम अहिल्या देवी (Ahilya Devi) गलत दर्ज हो गया है। अतः ई–राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम (Halya Devi) हल्या देवी है।

आज दिनांक 19–03–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री साजन बग्गा तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 02–04–2025

आशा रानी बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.––आशा रानी पुत्री ओम प्रकाश हाल पत्नी गोविन्द राम गोस्वामी, निवासी वार्ड नं0 2, गांव व डाकघर गोपालपुर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिया ने व्यक्त किया है कि उसका नाम आशा रानी है, जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम आशा रानी व आशा रानी गोस्वामी है। अतः ई–राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

अतः इस बारे किसी को कोई भी उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02–04–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19–03–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी :

बिहारी लाल बनाम आम जनता।

नोटिस बनाम.––बिहारी लाल पुत्र महलू राम, निवासी गांव व डाकघर अरला, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसमें प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि उसका व उसके पिता का सही नाम बिहारी लाल (Bihari Lal) व महलू राम (Mahlu Ram) है जबकि आधार कार्ड में मेरा व मेरे पिता का संसार चन्द (Sansar Chand) व भागो (Bhago) गलत दर्ज हो गया है। अतः ई–राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा व मेरे पिता का सही नाम बिहारी लाल (Bihari Lal) व महलू राम (Mahlu Ram) है।

आज दिनांक 19–03–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

तकसीम भूमि : पेशी तारीख : 09–4–2025

राम लोक पुत्र लाला, विजय दीप पुत्र राम लोक, सरोज वाला पत्नी राम लोक, निवासीगण महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

धर्म चन्द पुत्र सीता राम, किशोरी लाल पुत्र भगत राम, निवासीगण महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रतिवादीगण।

विषय.––तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 370, खतौनी नं0 488, खसरा नं0 1125, रकबा तादादी 00–03–66 है0 वाक्या महाल दरगेला, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2018–19.

उपरोक्त विषय से समबन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त में कुछ प्रतिवादीगण को बार–बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 09–04–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है । हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ..... को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09–04–2025

श्री जोध राज 60 वर्ष पुत्र श्री अमरी उर्फ अमर सिंह, निवासी महाल रछयालू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता श्री अमरी उर्फ अमर सिंह पुत्र श्री छिंजू की मृत्यु दिनांक 20–12–1986 को गांव रछयालू में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रछयालू में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रछयालू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09–04–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09–04–2025

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री प्रीतम चन्द, निवासी महाल झुलाड़, डा0 व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके पिता प्रीतम चन्द पुत्र श्री किहरू राम की मृत्यु दिनांक 18–11–2006 को गांव झुलाड़ में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश मृत्यु तिथि नगर पंचायत शाहपुर में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09–04–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि पेशी : 09–04–2025

श्री सरूप चन्द उम्र 72 वर्ष पुत्र श्री दीवान चन्द, निवासी गांव व डा0 अनसुई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण–पत्र लेने बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती दुकड़ी देवी पत्नी श्री दीवान चन्द निवासी गांव व डा0 अनसुई, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) की मृत्यु दिनांक 17–11–1993 को गांव अनसुई में हुई है, लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अनसुई में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अनसुई के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09–04–2025 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
12 / RNTK/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	09–04–2025

रमेश कुमार पुत्र प्रेम चन्द, गांव व डा0 त्रिलोकपुर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन–पत्र।

प्रार्थी रमेश कुमार ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला व तहसीलदार ज्वाली के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 26–07–1920 है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म तिथि पंजीकरण पत्र संलगन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 26–07–1920 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 09–04–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–03–2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
11 / RNTK/2025	जन्म तिथि पंजीकरण	09–04–2025

मीना कुमारी पुत्री दलीपा, निवासी गांव नेरा, डा0 कोटला, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म तिथि पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन–पत्र।

प्रार्थिया मीना कुमारी ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि दिनांक 10–09–1973 है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म तिथि पंजीकरण पत्र संलगन किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 10–09–1973 ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 09–04–2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17–03–2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 03/NT/RKT/2025

प्रार्थिया नीलम कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव झाजवां, डा0 व तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नीलम कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव झाजवां, डा0 व तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 10–02–1978 को गांव झाजवां में हुआ है जिसे मेरे माता–पिता अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सके, जिसे मैं ग्राम पंचायत नेरना के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूं।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19–04–2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नेरना के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

दिनांक 13–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Laxman Kanet (HPAS), Sub-Divisional Magistrate, Chachyot at Gohar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :—

1. Jeevan Singh s/o Sh. Oma Dutt, r/o Village Jhout, P.O. Bara, Tehsil Chachyot, District Mandi, H.P.

2. Lalita Devi d/o Sh. Youwan Singh, r/o V.P.O. Dhaugi, Tehsil Sainj, District Kullu, H.P. . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Jeevan Singh and Lalita Devi has filed an application on 18-03-2024 alongwith affidavits in the court of undersigned under section 8.4 of Registration of Marriage Act, 1996 that they have solemnized their marriage on 18-11-2017 and they are living as husband and wife since then. Due to ignorance they have not registered their marriage in concerned Panchayat (Registrar of Marriage). Therefore, their marriage may be registered under section 8.4 of Himachal Pradesh Registration of Marriage Act, 1996.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-04-2025. The objection received after 21-04-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-03-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Chachyot at Gohar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar, District Mandi (H. P.)

In the matter of :

1. Sh. Sohan Lal s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Alsu, P.O. Dehar, Sub-Tehsil Dehar, Distt. Mandi H.P.

2. Suntali d/o Sh. Chander Bhadur, V.P.O. Sainj, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) at present w/o Sh. Sohan Lal s/o Sh. Mangat Ram, r/o Village Alsu, P.O. Dehar, Sub-Tehsil Dehar, Distt. Mandi H.P. . . Applicants.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act.

Sohan Lal and Suntali have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage according to Hindu Rites and ceremonies on dated 06-06-2021 and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-04-2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18-03-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2025 तारीख मरजुआ : 19—03—2025 तारीख पेशी : 19—04—2025

श्रीमती नीला देवी पुत्री श्री दीना नाथ हाल निवासी गांव हारट, डा0 व तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती नीला देवी पुत्री श्री दीना नाथ हाल निवासी गांव हारट, डा0 व तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया नीला देवी का जन्म दिनांक 19–09–1981 को घर पर हुआ है लेकिन उनका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भरगांव, तहसील कोटली में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत भरगांव में उनका नाम जन्म तिथि का पंजीकरण किया जावे।

प्रार्थना–पत्र में प्रार्थिया का नाम नीला देवी व जन्म तिथि 19–09–1981 का पंजीकरण दर्ज करने बारा जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भरगांव में पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 19–04–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष / एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी व यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 2025 तारीख मरजुआ : 18–03–2025 तारीख पेशी : 19–04–2025

श्री मुन्शी राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव ढण्डाल, डा0 समराहण, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मुन्शी राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव ढण्डाल, डा0 समराहण, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरे लड़के के जन्म प्रमाण–पत्र में मनोज दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरा नाम मुन्शी राम पुत्र श्री मस्त राम है। इसे दुरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्री मुन्शी राम पुत्र श्री मस्त राम, निवासी गांव ढण्डाल, डा0 समराहण, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) के बेटे के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 19–04–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष / एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–03–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10 / 2025 तारीख मजरूआ : 16–01–2025 तारीख पेशी : 17–04–2025

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी इन्द्र पाल, निवासी गांव काण्ढी तारापुर, डा0 गागल, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता ..प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू–राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी इन्द्र पाल, निवासी गांव काण्ढी तारापुर, डा0 गागल, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि प्रार्थिया का नाम आधार कार्ड व पंचायत के रिकार्ड अनुसार मूल असल व सही नाम लक्ष्मी देवी है लेकिन राजस्व कागजात माल में मेरा नाम गलती से लच्छमी देवी उर्फ हिमती देवी लिखा गया है जोकि गलती से दर्ज हुआ है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि राजस्व कागजात माल के मुहाल कुठैहड़ में नाम की दुरुसती के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र में वर्णित प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया का नाम लक्ष्मी देवी पत्नी इन्द्र पाल, मुहाल कुठैहड़ के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 17–03–2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर / एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 20–03–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)

Sh. Uma Dutt s/o Late Sh. Puran Chand, r/o Village Kaina, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. *Respondent.*

Whereas Sh. Uma Dutt s/o Late Sh. Puran Chand, r/o Village Kaina, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date if birth

of his/her self Uma Dutt as 10-06-1974 in the record of Registrar, Birth & Death, Gram Panchayat Janol Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Uma Dutt	Self	10-06-1974

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding to enter of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Janol, Shimla (H.P.), he/she may file their claims/objections in the Court on or befor one month of publication of this notice in Govt. Gazette failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 26-03-2025 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban), District Shimla (H.P.)

1. Sh. Jiya Lal aged about 57 years s/o Late Sh. Puran Chand, r/o Block No. 37, Set No. 1 Ground Floor, Nabha House, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Jamna Devi aged about 54 years d/o Sh. Chunku Ram, r/o Village Shilgaon, P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Subject.—*Registration of Marriage under special Marriages Act, 1954.*

Sh. Jiya Lal aged about 57 years s/o Late Sh. Puran Chand, r/o Block No. 37, Set No. 1 Ground Floor, Nabha House, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Jamna Devi aged about 54 years d/o Sh. Chunku Ram, r/o Village Shilgaon, P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have soleminized their marriage on 25-05-1991 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections

personally or in writing before the court of undersigned on or before 27-04-2025 after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 28th March, 2025.

Seal

Sd/
(BHANU GUPTA HPAS),
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban).

CHANGE OF NAME

I, Dayavanti w/o Sh. Bhime Ram, r/o Village Jamala, P.O. Sharchi, Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Dami Devi (Old Name) to Dayavanti (New Name). All concerned please may note.

DAYAVANTI
w/o Sh. Bhime Ram,
r/o Village Jamala, P.O. Sharchi,
Tehsil Banjar, District Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gaurav Sanjay Thakur s/o Sh. Sanjay, r/o Village & P.O. Ghurshali, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Gaurav Kumar (Previous Name) to Gaurav Sanjay Thakur (New Name). All concerned please may note.

GAURAV SANJAY THAKUR
s/o Sh. Sanjay,
r/o Village & P.O. Ghurshali,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।